

20/11/20

पत्रावली आज पेश हुई

तहसीलदार पाली से अगिए फाक सू० न०/२०२०
 २५६९ दिनांक २०-११-२० के अनुसार उनके रीड की अध्यक्षता
 में कोमेटी का गठन दिनांक २१/१०/२०२० को किया गया था जिनमें
 ५ सदस्य थे उक्त कोमेटी द्वारा सूचना ~~सूचना~~ पत्रावली व
 कागजात की खोजबीन की गई। गहन खोजबीन के फलतः
 भी कुछ रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। रिकॉर्ड नहीं मिलने से अपीलें
 को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवा जा सकती है।
 इस कारण से अपील अपीलें निर्यात करीने हेतु भी
 निवेदन किया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ६ के
 अनुसार इस प्रकार के रिकॉर्ड की सूचना युक्त करने हेतु
 २० वर्षों से पुरानी है तो उसके खूट की गई है
 इस प्रकार से १८ वर्षों से अधिक के रिकॉर्ड तहसील
 कार्यालय में कोमेटी ५ सदस्यों की गठित का खोजबीन
 करवा गए उसके बावजूद भी अपीलें वांछित
 सूचना का पत्रावली उपलब्ध ही नहीं हुए हैं।
 जब दस्तावेज बावजूद खोजबीन एवं गहरता में खोज
 पर भी नहीं मिले तो उनकी पुनः किया जाना संभव नहीं
 है। ऐसी स्थिति होने पर उन्होंने इस प्रकार के सूचना
 लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर पाली (ADM Pals)
 को तो सूचना प्रेषित की है ~~बावजूद~~ ही इस न्यायालय
 में भी प्रेषित की है लेकिन प्रार्थी सूचना चाहते वक्त
 भी जगदीश को सकारण नहीं करवा है अतः अपीलें प्रार्थी
 श्री जगदीश को सूचित किया जाये कि रिकॉर्ड नहीं मिलने से
 सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

वर्तमान में इस अपील में किसी प्रकार की
 कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से
 यह अपील वापस की जाती है।
 इस न्यायालय पत्रावली द्वारा को मत देका
 जम्मा से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली

